मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 8–8/05/2/34 भोपाल,दिनांक जनवरी,2008

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र,
भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/(वि./या.)भोपाल

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (मण्डल)
मध्यप्रदेश ।

विषय—नियमित रूप से दौरा किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ—1. शासन का समसंख्यक आदेश क्र. 2010 दिनांक 17.5.05, क्र. 2151 दि. 31.5.05, क्र. 3686 दिनांक 30.9.05 तथा क्र. 1055 दिनांक 20.4.06, 1895 दि.24.4.06
2. प्रमुख अभियंता का पत्र क्र. 1426/पीए/मानि/07, दिनांक 29.12.2007

—

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेशों/पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा विभागीय कार्यों का निरीक्षण करने हेतु अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे । विगत कुछ समय से यह परिलिक्षित हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/भ्रमण बहुत कम किया जा रहा है । अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि गंभीरता पूर्वक समस्त कार्यों का निरीक्षण करें तथा आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना भी सुनिश्चित करें । अधीक्षण यंत्री अपना निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करेंगे तथा मुख्य अभियंता इन पर टीप प्रमुख अभियंता तथा शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

/

(एस.एस.श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक/एफ 8–8/05/2/34 भोपाल,दिनांक 14 जनवरी,2008

प्रतिलिपि—

1. विशेष सहायक, मा.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर संदर्भित [illegible] जारी निर्देशों के तारतम्य में प्रत्येक माह अपना प्रतिवेदन [illegible]

(एस.एस.श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग